

FIRST INFORMATION REPORT

(Under Section 154 Cr.P.C.)
प्रथम सूचना रिपोर्ट
(धारा 154 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत)

1. District (जिला): STATE VIGILANCE AND ANTI-

P.S. (थाना): HAMIRPUR

Year (वर्ष): 2020

FIR No. (प्र.सू.रि. सं.): 0003

Date and Time of FIR (प्र.सू.रि. की दिनांक और समय): 06/11/2020 13:55 hrs

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	PREVENTION OF CORRUPTION ACT, 1988	7

3. (a) Occurrence of offence (अपराध की घटना):

1. Day (दिन):

Date From (दिनांक से):

Date To (दिनांक तक):

Time Period (समय अवधि):

Time From (समय से):

Time To (समय तक):

(b) Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई): Date (दिनांक): 06/11/2020

Time (समय): 01:20 hrs

(c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ): Entry No. (प्रविष्टि सं.): 008

Date & Time (दिनांक और समय): 06/11/2020 13:30 hrs

4. Type of Information (सूचना का प्रकार): Written

5. Place of Occurrence (घटनास्थल):

SOUTH-EAST, 15 Km(s)

Beat No. (बीट सं.):

1. (a) Direction and distance from P.S. (थाना से दूरी और दिशा):

(b) Address (पता):

(c) In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर है तो):

Name of P.S. (थाना का नाम):

District(State) (ज़िला (राज्य)):

6. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता/सूचनाकर्ता):

(a) Name (नाम): BASU DEV

(b) Father's Name (पिता का नाम): SH ROSHAN LAL

(c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष): 1975

(d) Nationality (राष्ट्रियता): INDIA

(e) UID No. (यूआईडी सं.):

Date of Issue (जारी करने की तिथि):

(f) Passport No. (पासपोर्ट सं.):

Place of Issue (जारी करने का स्थान):

(g) Id details (Ration Card, Voter ID Card, Passport, UID No., Driving License, PAN)

S.No. (क्र.सं.)	Id Type (पहचान पत्र का प्रकार)	Id Number (पहचान संख्या)
1		

(h) Address (पता):

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	Present Address	VILLAGE CHOKKAR PO AGHAR, HAMIRPUR, SADAR HAMIRPUR, HAMIRPUR, HIMACHAL PRADESH, INDIA
2	Permanent Address	VILLAGE CHOKKAR PO AGHAR, HAMIRPUR, SADAR HAMIRPUR, HAMIRPUR, HIMACHAL PRADESH, INDIA

(i) Occupation (व्यवसाय):

(j) Phone number (दूरभाष सं.):

Mobile (मोबाइल सं.):

7. Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (जात / संदिग्ध / अज्ञात अभियुक्त का पूरा विवरण सहित वर्णन):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Present Address (वर्तमान पता)
1	Unknown1			

8. Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9. Particulars of properties of interest (संबन्धित सम्पत्ति का विवरण):

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (संपत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति का प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य (रु में))
-----------------	------------------------------------	------------------------------------	---------------------	---------------------------------

10. Total value of property (In Rs/-)-सम्पत्ति का कुल मूल्य(रु में):

11. Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण सं., यदि कोई हो):

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.डी.प्रकरण सं.)
-----------------	--------------------------------

12. First Information contents (प्रथम सूचना तथ्य):

इमरोज एक शिकायत पत्र न0 SPL -01/VIG/HMR DATED 06.11.2020 पृष्ठांकित निरीक्षक योगराज वटस्त मा0 मु0 आ0 कमलेश कुमार के थाना में प्राप्त हुआ जिसका मजबूत जैल है:- सेवा में DSP विजिलेंस हमीरपुर (हि.प्र.), श्रीमान जी, निवेदन इस प्रकार से है कि मैं वालन लकड़ी खरीद-फरोखत का काम करता हूँ तथा वालन लकड़ी को यमुनानगर हरियाणा के लिए ट्रक में लोड करके भेजता हूँ जिसके लिए वन विभाग के रेंज अफसर से राहदारी की अनुमति लेते हैं। राहदारी परमिट परमिशन लेने हेतु पहले ईलाका पटवारी, वन रक्षक से दरखास्त को मार्क करके रेंज अफसर के पास फाईल भेजी जाती है। कल दिनांक 05.10.2020 को मैंने सुबह रेंज अफसर श्री केदार नाथ शर्मा को 11.15 बजे फोन करके राहदारी परमिट के बारे में फोन किया तो इसने कहा कि मेरा इन्तजार करो। मैं सरकारी काम से टफतर से बाहर हूँ। परन्तु देर शाम तक रेंज अफसर साहब ने राहदारी परमिट पर हस्ताक्षर नहीं किए। मैंने शाम को फिर फोन करके रेंज अफसर साहब को परमिट पर हस्ताक्षर करने के लिए कहा। जब तक मैंने पैसे देने की बात न की तब तक रेंज अफसर ने परमिट पर हस्ताक्षर न किए। रेंज अफसर ने एक गाड़ी का परमिट जारी करने की अबैध फीस 1000/- तय कर रखी है व सीधे तौर पर यह पैसे की मांग नहीं करता है परन्तु जब तक इसे पैसे देने की बात नहीं की जाती तब तक काम लटका कर रखता है शाम को मैंने पैसे नहीं दिये जब इसको पैसे देने की बात कही तो इसने देर शाम को वालन के परमिट पर हस्ताक्षर किये व कल हस्ताक्षर किए परमिट की एवज में आज इसे 1000/- रुपये देने पड़ेगे। महोदय, मैं रिश्तत नहीं देना चाहता। अतः आपसे निवेदन है कि आप उपरोक्त रेंज अफसर के खिलाफ कानूनी कार्यवाही करने की कृपा करें। भवदीय, Sd/- हस्ताक्षर अंजेली वासुदेव सपुत्र श्री रोशन लाल निवासी गाँव चौकड़ डाकघर अगधार तहसील व जिला हमीरपुर (हि.प्र.) SI Ishwar Dass for verification and report. Sd/- Insp. Yograj (I.O. PS SV ACB Hamirpur) dated 06.10.2020 कार्यवाही पुलिस: आज दिनांक 06.10.2020 को मन निरीक्षक मय मुलाजमान के मुकाम भोटा में मौजूद था तो श्री वासुदेव सपुत्र श्री रोशन लाल निवासी गाँव चौकड़ डाकघर अगधार तहसील व जिला हमीरपुर (हि.प्र.) से मुलाकी हुई। जिसने एक शिकायत पत्र मन निरीक्षक के पेश की। जिस पर मन निरीक्षक ने SPL-1/Vig./Hmr दिनांक 06.10.2020 नम्बर लगाकर पूर्व सत्यापन हेतु उप-निरीक्षक ईश्वर दास को मय आरक्षी नरेन्द्र कुमार के पास मुकाम वाई-पास भोटा से रेंज कार्यालय अगधार का खाना किया था जो उप-निरीक्षक ईश्वर दास ने रेंज कार्यालय अगधार के आस-पास के ईलाका में रेंज ऑफिसर श्री केदार नाथ शर्मा के सामान्य कामकाज व आचरण बारे गोपनीय तस्दीक की तथा अपनी पूर्व सत्यापन रिपोर्ट अलग से प्रस्तुत की। शिकायत पत्र के अनुसार लगाए गए आरोप सही पाए जा रहे हैं। रेंज ऑफिसर अगधार अपने सरकारी कार्य की एवज में रिश्तत लेता है व सीधे तौर पर मांग भी नहीं करता तथा काम रोक कर रखता है। जब तक कोई व्यक्ति पैसे नहीं देता है या काम करने के बाद पैसे दे देने की बात नहीं करता। मा0मु0आ0 कमलेश कुमार को बाये लाने ट्रेप किट पहले ही थाना का खाना किया था। जो ट्रेप किट सहित हाजिर मौका आया है। मजबूत शिकायत पत्र से व पूर्व सत्यापन रिपोर्ट से वन परिक्षेत्र अधिकारी अगधार श्री केदार नाथ शर्मा के खिलाफ धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (संशोधित वर्ष, 2018) का अपराध पाया जा रहा है। अतः असल शिकायत पत्र को बाये कायमी मुकदमा बटस्त मा0मु0आ0 कमलेश कुमार के थाना भेजा जा रहा है। मुकदमा दर्ज करके नम्बर मुकदमा से सूचित करें। स्वतन्त्र गवाह मुकाम झाण्डी (अगधार) में बुलाए जा रहे हैं तथा मन निरीक्षक मय हमराहीयान के मुकाम झाण्डी (अगधार) में प्री-ट्रेप की कार्यवाही हेतु खाना होता है। Sd/- Insp. Yograj (I.O. PS SV ACB Hamirpur) Camp at Bye Pass Road Bhota dated 06.10.2020 at 01:00 PM. कारवाई थाना:- हस्व आमदा पत्र को शब्द व शब्द लिखा गया। प्रथम सूचना रिपोर्ट की जल्दी कापियां वजरिया कम्प्यूटर प्रिंटर निकाली गई जो सम्बन्धित न्यायलय व अफसरानवाला की सेवा में भेजी जा रही है। प्रथम सूचना रिपोर्ट का इन्दाज सम्बन्धित रजिस्ट्रो में किया जा रहा है। अपराध विशेष श्रेणी का है। अतः प्रथम सूचना रिपोर्ट को ही विशेष रिपोर्ट समझा जाए। मिसल मुकदमा तैयार करके निरीक्षक योग राज के हवाले की गई तथा आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।

13. Action taken: Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.

(की गयी कार्यवाही : चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं. 2 में उल्लेख धारा के तहत है।)

(1) Registered the case and took up the investigation:
(प्रकरण दर्ज किया गया और जांच के लिए लिया गया):

(2) Directed (Name of I.O.) (जांच अधिकारी का नाम): Yog Raj Rank (पद): I (Inspector)
No.(सं.): NA to take up the Investigation (को जांच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or (या)

(3) Refused investigation due to (जांच के लिए):

or (या)

or (के कारण इन्कार किया या)

(4) Transferred to P.S.(थाना):

District (ज़िला):

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R. read over to the complainant / informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant / informant free of cost. (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गयी, सही दर्ज हुई माना और एक कॉपी निशुल्क शिकायतकर्ता को दी गयी)

R.O.A.C.(आर. ओ. ए. सी.)

14. Signature/Thumb impression of the complainant / informant.(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):

15. Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):

Signature of Officer in charge, Police Station
(थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Dy. Superintendent of Police,
SV (Name): Lalman Sharmah (N.P.)

Rank(पद): Dy. SP (Deputy Superintendant of Police)

No.(सं.): NA